

क्रमांक 10/रीवा/2017/3980

54
178

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)



₹-30/-

जगदीश प्रसाद कुशवाहा तनय बोड़े कुशवाहा निवासी ग्राम जरमई, तहसील
सेमरिया, जिला-रीवा (म0प्र0) निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामशिरोमणि कुशवाहा तनय रघुनंदन कुशवाहा
2. पारशलाल कुशवाहा तनय रघुनंदन कुशवाहा
3. रामकुशल कुशवाहा तनय रघुनंदन कुशवाहा, निवासी ग्राम जरमई, तहसील
सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0) गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश राजस्व

निरीक्षक मंडल शाहपुर, तहसील सेमरिया,

जिला रीवा द्वारा प्रकरण क. 80 अ 12/

2016- 17 में पारित आदेश दिनांक 12.07.17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

आवेदन जगदीश प्रसाद
कुशवाहा द्वारा
23-10-17

ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म० प्र० महालय
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/07/2017 विधि प्रक्रिया के विपरीत प्रकरण के तथ्यों के विपरीत एवं अनियमित व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि गैर निगरानी कर्ता ने जो सीमांकन का आवेदन दिया है उसके विपरीत राजस्व निरीक्षक ने आदेश पत्रिका दिनांक 25/05/2017 में भूमि नं. 162/1, 162/3 एवं 162/4 के सीमांकन का उल्लेख किया है जबकि सूचना पत्र में 162/1, 162/2 एवं

जगदीश कुशवाहा


54

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... तीन) निग./17/ 3980..... जिला... सीवा.....

.....जगदीश प्रसाद कुशवाहाविरुद्धरामसिरोमणी कुशवाहा

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>सुरेश पाठक</u>..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>शाहपुर</u>..... तहसील <u>सेमरिया</u>..... के प्रकरण क्रमांक <u>80/अ/12/16/17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>12-7-17</u>..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सीवा</u>..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-3-19</u>..... को कलेक्टर <u>सीवा</u>..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य</p>	

जगदीश कुशवाहा